राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कौशल, नियोजन, एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान
कौशल भवन, ईएमआई केम्पस, जे–8ए, झालाना संस्थानिक क्षैत्र, जयपुर

क्रमांकः प.सं.7(11)/प्र–1/1001/2019/10024 दिनांकः– 8-01-2020

आचार्य/अधीक्षक
समस्त राजकीय/प्राइवेट
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

विषयः– राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर प्रशिक्षणार्थीयों की समस्याओं के निराकरण के संबध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर प्रशिक्षणार्थीयों द्वारा राजकीय/प्राइवेट संस्थानों के सम्बध में विभिन्न प्रकार की समस्याओं के बारें में परिवाद दर्ज करवाए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि समस्त सस्थानों को एन.सी.वी.टी. माप दण्डो के अनुसार संस्थानों का संचालन करना आवश्यक हैं परन्तु फिर भी सस्थानों द्वारा प्रशिक्षणार्थीयों के कार्य समय पर नही किए जा रहें हैं। जिसकी वजह से प्रशिक्षणार्थीयों द्वारा मुल दस्तावेज नही लौटाने, कौशन मनी नही लौटाने, संस्थान द्वारा अंक तालिका नही देने, संस्थान द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क से अधिक राशि की मांग करना, प्रशिक्षण शुल्क की राशि की प्राप्ति रसीद नही देना जैसे प्रकरण राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज कराये जा रहे हैं।

शासन सचिव महोदय द्वारा इस प्रकरण को गभीरता से लिया जा रहा हैं अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रशिक्षणार्थीयों से संबधित परिवेदना को तुरन्त ही निस्तारित किया जावे तथा अनावश्यक प्रशिक्षणार्थीयों को परेशान नही किया जावे।

उपरोक्त कि पालना नही करने पर संबधित संस्थान/कर्मचारी के विरुद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

(डा0 समित शर्मा)
आयुक्त

क्रमांकः प.सं.7(11)/प्र–1/1001/2019/10025 दिनांकः– 8-01-2020

प्रतिलिपि : उप निदेशक प्रशिक्षण,प्राविधिक शिक्षा क्षैत्रीय कार्यालय,समस्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(डा0 समित शर्मा)
आयुक्त